

जिला स्थापना शाखा

जिला स्थापना शाखा
07 2009
संख्या-मं०-01/आर०-31/2009

RR-594/0
10.12.09

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संख्या-मं०-01/आर०-31/2009 / दिनांक:-

-- अधिसूचना :-

भारत संविधान के अनुच्छेद - 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल कार्यपालिका नियमावली 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

-- संशोधन :-

कार्यपालिका नियमावली 1979 की प्रथम अनुसूची में संशोधन :-

i. (क) उक्त नियमावली (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 7 में प्रयुक्त शब्द "कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग" शब्द " सामान्य प्रशासन विभाग" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाते हैं।

(ख) कार्यपालिका नियमावली (समय-समय पर यथा संशोधित) 1979 में जहाँ कहीं भी "शब्द" "कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग" पाये जाएँ, "शब्द" सामान्य प्रशासन विभाग" द्वारा प्रतिस्थापित समझे जायेंगे।

(ग) उक्त नियमावली में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संशोधित नाम-सामान्य प्रशासन विभाग) में उसके कार्यों की विषय सूची में क्रमांक-32 के बाद निम्नलिखित क्रमांक जोड़े जायेंगे -

"33. प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी से संबद्ध कार्यालयों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण।

34. जिला अतिथिगृहों इत्यादि का प्रशासी प्रभार।"

ii. (क) कार्यपालिका नियमावली 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-40 में वर्णित "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के कार्यों के वितरण की सूची के क्रमांक 8 एवं 12 एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं साथ ही क्रमांक-10 में "परिसदनों" शब्द को विलोपित किया जाता है।

(2) कार्यपालिका नियमावली में उक्त संशोधन दिनांक-01.04.2010 के प्रभाव से लागू होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(वाल्मीकि प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- मं०मं०-01/आर०-31/2009/दिनांक- नवम्बर, 2009
 प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अधिसूचना की सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही अधिसूचना गजट की एक हजार मुद्रित प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-
 (वालमीकि प्रसाद)
 सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- मं०मं०-01/आर०-31/2009 2094...../दिनांक-17 नवम्बर, 2009
 प्रतिलिपि:-सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वालमीकि प्रसाद)
 सरकार के संयुक्त सचिव
 16/11

ज्ञापांक 1602 दिनांक 16.12.09

प्रतिलिपि- (मुख्यालय स्थित सभी कार्यालय प्रधान/ अनुसूचित पदाधिकारी सदर तथा/ मधेरा/ सोनपुर सभी प्रकार विकास पदाधिकारी/ सभी अंशक पदा/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वालमीकि प्रसाद)
 सरकार के संयुक्त सचिव
 16/11

50

(क) स: गृहम् आगच्छति ।

(अस्माकं, हिमालयात्, परोपकाराय, विद्यालयात्, रामस्य)